रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 1989/भाद्र 24, 1911
No. 494] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1989/BHADRA 24, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1989

सं. 55/89(सीमाशुल्क एसटी)

सा.का.नि. 836(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 251/83-सीमाशुल्क, तारीख 27 अगस्त, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी में, मद संख्यांक 1 के खण्ड (ग) में,—

(क) स्तम्भ 1 में, "नावाशेवा पत्तन" शब्द के स्थान पर "जवाहरलाल नेहरू पत्तन" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्तम्भ 2, 3 और 4 में, "नावाशेवा" शब्द जहां जहां आता है, उसके स्थान पर "जवाहरलाल नेहरू पत्तन" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 437/3/89-सीमा. 4

पी. के. जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1989

NO. 55|89-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 836 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 251|83-Customs, dated the 27th August, 1983 namely :—

In the Table below the said notification, in clause (c) of item No. 1, —

(a) in column 1, for the words "The Port of Nhava Sheva" the word "The Jawaharlal Nehru Port", shall be substituted ;

(b) in columns 2, 3 and 4, for the words "Nhava Sheva", wherever the occur, the words "Jawaharlal Nehru Port" shall be substituted.

[F. No. 437|3|89-CUS-IV

P. K. JAIN, Under Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989